उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं0 :–78 / 2023–24

श्रीमती कंचन भारद्वाज
बनाम
गौरी देवी वगै0

25.07.24

1. अपीलार्थी श्रीमती कंचन भारद्वाज पति–श्री कुमार सुन्दरम भारद्वाज ग्राम–जवाहर नगर गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–36 / 2020–21 दिनांक–27.09.2022 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में Limitation Act की धारा–05 के प्रावधानों के तहत् Delay Condonation के अनुरोध के साथ रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थीगण के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी एवं विकेता Succession और Inheritance के मामले में Hindu Succession and Inheritance Act-1956 दोनो हिन्दु विधि के मिताक्षरा स्कूल में आते है। उक्त अधिनियम के आधार पर पिता की सम्पति पर पुत्रियों का भी वही अधिकार होता है, जो पुत्र का होता है। प्रश्नगत भूमि मौजा–तारालोया खाता सं0–01 एवं 02 का खतियानी रैयत बाबू राजकिशोर सिंह वो बाबू जुगल किशोर सिंह थे। खतियानी रैयत बाबू राजकिशोर सिंह वो बाबू जुगल किशोर सिंह ने निबंधित पट्टा सं0–494 दिनांक–07.02.1972 के द्वारा कमलनाथ सिंह को खाता सं0–01 एवं 02 कुल रकबा–21.70 एकड़ भूमि बिकी कर दिये। प्रश्नगत भूमि का केता कमलनाथ सिंह भूमि कय करने के पश्चात कय की गई भूमि पर दखल में आए और अपने नाम से दाखिल खारिज कराकर प्रश्नगत भूमि पर अपने जीवन पर्यन्त खेती बारी करते एवं कराते रहे। कमलनाथ सिंह के नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद कटती रही, कभी किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नही किया।

3. कमलनाथ सिंह जनवरी 2015 में अपने पीछे तीन विवाहित पुत्रियों गौरी देवी, पूर्व मृत भानुमति देवी एवं पूर्व मृत जनन्ती देवी को छोडकर स्वर्गवासी हुए। कमलनाथ सिंह का वंश वृक्ष उनके मृत्यु के पश्चात् निम्नलिखित रुप से है:–

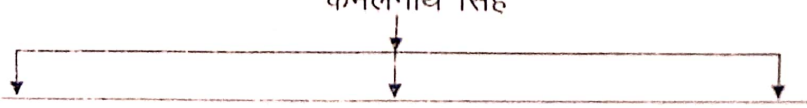

Scanned with OKEN Scanner

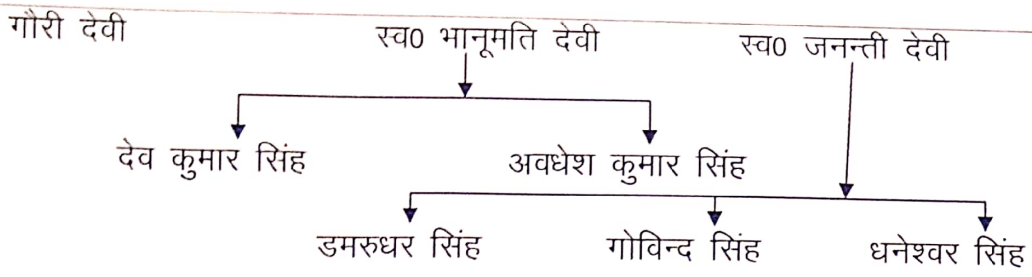

कमलनाथ सिंह की मृत्यु के उपरान्त उनके सभी Legal heirs and Successors कमलनाथ सिंह के प्रश्नगत भूमि के अलावे अन्य सम्पति पर संयुक्त रुप से दखल में आए तथा हर तीन वर्ष में अधबटाइदार बदल बदल कर प्रश्नगत भूमि पर खेती बारी कराते रहें, किन्तु किसी ने कोई आपत्ति नही की।

4. कमलनाथ सिंह के उत्तराधिकारियों ने मौजा–तारालोया थाना सं0–57 के खाता सं0–01 एवं 02 का प्रश्नगत भूमि का भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु अंचल कार्यालय रायडीह में आवेदन समर्पित किए। अंचल अधिकारी रायडीह के द्वारा विधिपूर्ण जाँच दखल के बिन्दु पर कराया गया था। कमलनाथ सिंह के वंशजों के आवेदन पर अंचल अधिकारी रायडीह के द्वारा जॉच कराया गया और पत्रांक–316 दिनांक–12.05.2020 के द्वारा अंचल निरीक्षक रायडीह से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल निरीक्षक रायडीह के द्वारा पत्रांक–316 दिनांक–12.05.2020 के आलोक में दिनांक–23.05.2020 को बिरसु मुण्डा ग्राम प्रधान तारालोया पंचायत कोण्डरा की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक का तात्पर्य स्व0 कमलनाथ सिंह पिता–लक्ष्मण सिंह की वंशावली का सत्यापन एवं उनके भूमि खाता सं0–01 एवं 02 कुल रकबा–21.94 एकड़ भूमि पर दखल की जॉच करनी थी। उक्त ग्राम सभा में सम्पूर्ण ग्रामवासी उस वर्ष अधबटाई में खेती किए किसान एवं अंचल निरीक्षक उपस्थित थे। उक्त बैठक में स्व0 कमलनाथ सिंह की वंशावली एवं उनके उत्तराधिकारियों का संयुक्त दखल को सत्य पाया गया एवं इस आशय का एक कागज भी बना जिस पर अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर, ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों एवं अधबटाई में खेती किए किसानों का हस्ताक्षर ठेपा निशान दर्ज किया गया है।

5. प्रश्नगत भूमि का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर गौरी देवी, पति–जयधर सिंह वो भानुमति देवी के पुत्रों देव कुमार सिंह वो अवधेश कुमार सिंह दोनों के पिता–सोहन सिंह एवं स्व0 जनन्ती देवी के पुत्रों डमरुधर सिंह वो गोविन्द सिंह वो धनेश्वर सिंह तीनों के पिता–दशरथ सिंह को वारिसान सत्यापित किया गया तथा स्व0 कमलनाथ सिंह के सभी वारिसों का संयुक्त दखल पाया गया। हक अधिकार विवाद रहित तथा कोई आपत्ति नही होने के उपरान्त अंचल अधिकारी के द्वारा स्व0 कमलनाथ सिंह के वारिसों को भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। कमलनाथ सिंह के सभी वारिसों ने कंचन भारद्वाज पति कुमार

Scanned with OKEN Scanner

सुन्दरम् भारद्वाज साकिन जवाहर नगर गुमला थाना–गुमला जिला–गुमला को स्व0 कमलनाथ सिंह द्वारा क्रय की गई सभी भूमि की बिक्री का प्रस्ताव रखा तथा आपसी सहमति से भूमि का वाजिब प्रतिफल तय किया गया। कमलनाथ सिंह के सभी वारिसान संयुक्त रुप से प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थी कंचन भारद्वाज के पक्ष में निबंधित पट्टा सं0–640 दिनांक–06.07.2020 के द्वारा बिक्री की गई।

6. अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि क्रय करने के पूर्व सभी भूमि का स्वामित्व एवं दखल स्व0 कमलनाथ सिंह के वारिशानों अर्थात विक्रेताओं का था एवं भूमि क्रय के पश्चात क्रेता कंचन भारद्वाज अपने सम्पूर्ण खरीदगी भूमि पर दखल में आई और अधबटाईदारों के माध्यम से खेती करवाई। अंचल अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी के विक्रेताओं का प्रश्नगत भूमि में विधिक दखल सम्पूष्ट किया गया तथा भू–धारण प्रमाण पत्र को आधार मान कर क्रेतागण निबंधित विक्रय पत्र से क्रय किये तो क्रेताओं का दखल में विवाद है कह कर दाखिल खारिज अस्वीकृत किया गया। कमलनाथ सिंह के वारिस सोहन सिंह एवं जयधर सिंह ने करमू खड़िया से भूमि बिक्री हेतु कुछ रुपया लिया गया था, परन्तु बाद में करमू खड़िया उक्त भूमि खरीदने से इंकार कर दिया। सोहन सिंह एवं जयधर सिंह ने अग्रिम के रुप में ली गई राशि को करमू खड़िया को वापस कर दिया, जिसका प्रमाण है कि करमू खड़िया स्व0 कमलनाथ सिंह के वारिसों द्वारा बिक्री की गयी विक्रय पत्र में एक गवाह भी है तथा स्व0 कमलनाथ सिंह के वारिसों को प्रश्नगत जमीन का स्वामी मानता था इसलिए भूमि क्रय हेतु अग्रिम राशि दिया था।

7. आपत्तिकर्त्ताओं ने अपने आपत्ति आवेदन में रैयत कमलनाथ सिंह के मृत्यु के उपरान्त प्रश्नगत भूमि पर खेती करते आए है। दूसरी ओर अपने आपत्ति आवेदन में कमलनाथ सिंह के मृत्यु के उपरान्त मौजा–तारालोया के गरीब किसान प्रश्नगत भूमि पर चार दशक से खेती करते आ रहे है, जो पूर्णतः गलत और विरोधाभाषी है। कमलनाथ सिंह की मृत्यु जनवरी 2015 में हुई है। कुछ ग्रामीणों को उक्त भूमि का लालच हो गया है तथा अनावश्यक रुप से आपत्ति आवेदन दिए है, जो कही से तार्किक या कानूनी रुप से जायज नही है। आपत्तिकर्त्ताओं का यह कथन कि कमलनाथ सिंह अपने पीछे तीन पुत्रियों को छोड़कर स्वर्गवासी हुए वही दूसरी ओर कहते है कि कमलनाथ सिंह के निर्वंश होने की स्थिति में उक्त भूमि का मालिकाना हक तारालोया के आम ग्रामीणों का होता है। भारतवर्ष में ऐसा कोई कानून नही है कि रैयत के बिना पुत्र निधन होने पर उसकी पुत्रियों को अधिकार से वंचित कर मृतक की सम्पति पर आम ग्रामीणों का अधिकार और मालिकाना हक हो जाएगा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम–1956 तथा हिन्दू उत्तराधिकारी संशोधित अधिनियम 2005 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पिता की मृत्यु पर पुत्री या पूर्व मृत पुत्री के वारिस प्रथम उत्तराधिकारी में आयेंगे तथा उन लोगो का भी पिता की सम्पत्ति पर उतना ही अधिकार होगा, जो एक पुत्र

Scanned with OKEN Scanner

का अधिकार होता है।

8. आपत्तिकर्ताओं का कथन कि कंचन भारद्वाज बिहार की निवासी है और तारालोया ग्राम आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कंचन भारद्वाज का परिवार गुमला का स्थानीय निवासी है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे देश के किसी भी राज्य में भूमि क्रय कर सकते है। कंचन भारद्वाज के पक्ष में बिक्रीनामा निबंधित करने वाले बिक्रेतागण रौतिया जाति के अन्तर्गत आते है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 कहीं से कोई बाधा उत्पन्न नही करता है।

अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादीगण नोटिस तामिला के पश्चात भी लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनके पक्ष को नही सुना गया।

उत्तरवादीगण का पक्ष (ग्रामीणो)

9. उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी रायडीह द्वारा नामांतरण वाद सं0–5 और 27/2020–21 दिनांक–21.11.2019 में पारित आदेश एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद 36/2020–21 दिनांक–27.09.2022 में पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन व अपील को निरस्त किया गया है जो पूर्णतः विधि सम्मत है। रिवीजन में प्रश्नगत भूमि का खाता सं0–1 व 2 कुल रकबा–21.70 एकड़ है जो मौजा–तारालोया थाना–रायडीह जिला–गुमला में अवस्थित है।

10. प्रश्नगत खाता सं0–1 की भूमि का खतियान रिवीजन सर्वे में जिरात मालिक के रुप में राजकिशोर सिंह वगैरह के नाम पर बना है एवं खाता सं0–2 की भूमि का खतियान भी जिरात बकास्त मालिक के रुप में राजकिशोर सिंह वगैरह के नाम पर ही बना है। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात से ही खाता सं0–1 एवं 2 की भूमि पर मौजा तारालोया के ग्रामीणों का दखल कब्जा चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि में से किसी भी भूमि पर अपीलार्थी का दखल नही है और सभी ग्रामीण उसपर अपने पूर्वजो के समय से दखलकार चले आ रहे है। प्रश्नगत भूमि पर न तो कभी कमलनाथ सिंह का दखल रहा है और न ही उसके वारिसो का भूमि पर कभी दखल रहा है। अपीलार्थी द्वारा ग्रामीणों के जानकारी के बिना प्रश्नगत भूमि को वर्ष–2020 में क्रय की है, परन्तु उसका विक्रय पत्र कभी प्रभाव में नही आया है और ग्रामीणों का उक्त भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है।

11. ग्रामीणों को अपीलार्थी के विक्रय पत्र की जानकारी होने पर ग्रामीणों द्वारा निम्न न्यायालय में दिनांक–6.11.2020 को उपस्थित होकर अपना आपत्ति भी दायर किया था, जिसपर विचार करने के पश्चात निम्न न्यायालय द्वारा स्थल जॉचकर पाया कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल नही है

Scanned with OKEN Scanner

बल्कि ग्रामीणों का दखल है। प्रश्नगत भूमि पर ग्रामीणों का दखल देखते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नही है। प्रतिपादित विधि का सिद्वांत है कि नामान्तरण के मामले में जटिल स्वत्व को निर्मित निर्णीत नही किया जा सकता है और केवल दखल को देखते हुए नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है, परन्तु दखल नही रहने पर किसी भी दृष्टि से नामांतरण का आदेश पारित नही किया जा सकता है। माननीय पटना उच्च न्यायालय रॉची बेंच द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

12. अंचल अधिकारी रायडीह एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा अपने आदेश में समवर्ती रुप से निष्कर्ष में ग्रामीणों का दखल कब्जा पाया गया है और इसी आधार पर अपीलार्थी का नामांतरण आवेदन को निरस्त किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत है।

उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. P.L.J.R-1987 पेज सं0–1037 की छाया प्रति।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों व निम्न न्यायालय के आदेश के सम्यक अवलोकन व समीक्षा से स्पष्ट होता है कि निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा वैद्यिक दखल कब्जा की स्थिति पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता गुमला द्वारा Mutation Appeal Case No. – 36/2020-21 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए निदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि का वैद्यिक दखल–कब्जा की स्थिति पर भौतिक रुप से स्थलीय जांचोपरान्त तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.12.21 16:15:04 +05:30
Location: 192.168.5.105

Scanned with OKEN Scanner